अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2005

साधारण शेयर बचत स्कीम, 2005

का.आ. 1563(अ).— केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण शेयर बचत स्कीम, 2005 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** :- इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) "अधिनियम" से आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

   (ख) "निर्धारिती" से अभिप्रे है,--

   (i)ऐसा व्यष्टि, या

   (ii) ऐसा हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, या

   (iii) ऐसे व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, जिसमें दोनों दशाओं में, केवल पति, पत्नी हैं, जो गोवा राज्य तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त संपत्ति की सामदायिक पद्धति से शासित होते हैं ।

   जिसके द्वारा, या जिसकी ओर से विनिधान किया जाता है ।

(ग) "विनिधान" से इस स्कीम के अनुसार बनाई गई योजना के अधीन किसी निर्धारिती द्वारा यूनिट ट्रस्ट या किसी पारस्परिक निधि के यूनिटों में किया गया विनिधान अभिप्रेत है ;

(घ) " पारस्परिक निधि" से इस स्कीम के अनुसार बनाई गई कोई योजना अभिप्रेत ;

(ङ) " योजना " से इस स्कीम के अनुसार बनाई गई कोई योजना अभिप्रेत है ;

(च) " यूनिट ट्रस्ट" से भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 (2002 का 58) की धारा 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रशासक या खंड (ज) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कंपनी अभिप्रेत है ;

(छ) " वर्ष" से अप्रैल के प्रथम दिन को आरंभ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है ;

(ज) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो आयकर अधिनियम में हैं ।

3. **विनिधान और पुनःविक्रय** (क) यूनिट ट्रस्ट या किसी पारस्परिक निधि को किसी योजना में विनिधान की जाने वाली रकम, 500 रु. गुणजों में और कम से कम 500 रु0 होगी ।

(ख) यूनिट ट्रस्ट में या पारस्परिक निधि उस ट्रस्ट या निधि द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में किये गए सभी पूर्ण आवेदनों की बाबत प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक, यूनिटों का आबंटन करेगी ।

(ग) योजना, वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान कम से कम एक मास की अवधि के लिए तथा पश्चातवर्ती वर्षों के दौरान कम से कम तीन माह की अवधि के लिए खुली रहेगी ।

(घ) योजना में विनिधान की यूनिटों के आवंटन की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए रखना होगा । निर्धारिती को, तीन वर्ष की उक्त अवधि के पश्चात् यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि को पुनः क्रय के लिये यूनिट निविदत्त करने का विकल्प होगा ।

(ङ) निर्धारिती की मृत्यु की दशा में, यथास्थिति, नामनिर्देशिती या विधिक वारिस, निर्धारिती को यूनिटों के आबंटन की तारीख से एक वर्ष पूरा हो जाने के पश्चात् ही, या तत्पश्चात् किसी भी समय , विनिधान का प्रत्याहरण कर सकेगा ।

4. **अंतरणीयता**: किसी योजना के अधीन जारी किए गए यूनिट उसके जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष पश्चात् अन्तरित समनुदिष्ट या गिरवी रखे जाएंगे ।

5. **साधारण शेयर बचत निधियों का विनिधान**: (क) योजना के अधीन संग्रहीत की गई निधियों का विनिधान साधारण शेयरों, संचयी संपरिवर्तनीय डिबंचरों और बंधपत्रों में किया जाएगा ।

डिबेंचरों और बन्धपत्रों के, जिनमें अधिकार, के आधार पर प्रतिश्रुत डिबेंचर और बंधपत्र सम्मिलित हैं । भागतः संपरिवर्तनीय निर्गमों में भी विनिधान इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा कि यथासंभव, इस प्रकार अर्जित या प्रतिश्रुत डिबेंचरों के संपरिवर्तनीय भाग का बारह मास की अवधि के भीतर अपविनिधान किया जाए ।

(ख) यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना की निधियों का खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में कम विक्रय अस्सी प्रतिशत तक विनिधान हो । यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधि, अपनी निधियों के प्रत्येक योजना के बंद होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर उपरोक्त रीति से विनिधान करने का प्रयास करेगा । असाधारण परिस्थितियों में, यूनिट ट्रस्ट या निधि द्वारा इस अपेक्षा का त्याग किया जा सकेगा ताकि निर्धारिती के हितों की संरक्षा हो सके ।

(ग) अपेक्षित रीति से किसी योजना की निधियों का विनिधान होने तक, यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधि ऐसी निधियों का विनिधान अल्पकालिक मुद्रा बाजार प्रपत्रों में या अन्य नकद प्रपत्रों में या दोनों में कर सकेगी । यूनिटों का आबंटन की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात् यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि, योजना की शुद्ध आस्तियों के बीस प्रतिशत तक की अल्पकालिक मुद्रा बाजार प्रपत्रों और अन्य तरह प्रपत्रों में इस उद्देश्य से धारित कर सकेगी कि उन यूनिट धारकों के विनिधान का मोचन किया जा सके जो उन्हें पुनः क्रय के लिए यूनिटें निविदत्त करे ।

6. **पुनःक्रय कीमतः** (क) यूनिट ट्रस्ट और अन्य पारस्परिक निधियां, यूनिटों के आबंटन की तारीख के एक वर्ष पश्चात् और उसके अर्द्धवार्षिक आधार पर पुनःक्रय कीमत की घोषणा करेगी ।

(ख) यूनिटों के आबंटन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् जब से यूनिटों का पुनः क्रय प्रारंभ होना है, ट्रस्ट और पारस्परिक निधि, प्रत्येक मास या उतनी बार जैसा उनके द्वारा विनिश्चित किया जाए, पुनः क्रय कीमत की घोषणा करेगी ।

(ग) पुनः क्रय कीमत की संगणना करने में, यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधियां, योजना के निधियों के विनिधान के मूल्य में अप्राप्त मूल्य वृद्धि को उस सीमा तक हिसाब में लेगी जो वह उचित समझें, परंतु यह तब जबकि वह ऐसी अप्राप्त मूल्य वृद्धि के पचास प्रतिशत से कम न हो। पुनः क्रय मूल्य की संगणना करते समय, यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधियां ऐसी राशियों की कटौती कर सकेंगी जो प्रबंध, विक्रय और अन्य व्ययों को जिनके अंतर्गत आस्तियों का ज्ञापन भी है, पूरा करने के लिए उपयुक्त हों तथा ऐसी राशियां योजना के औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होंगी ।

(घ) यूनिटों का पुनः क्रय यूनिटों को पुनः क्रय के के लिए निविदत्त करने की तारीख को विद्यमान पुनः क्रय कीमत पर किया जाएगा ।

7. **विनिधान या पुनः क्रय का साक्ष्यः** निर्धारिती द्वारा किसी योजना में किए गए विनिधान की पावती यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधियों द्वारा विनिधान प्रमाणपत्र या लेखा विवरण जारी करके , जैसा उनके द्वारा विनिश्चय किया जाए, देनी होगी ।

8. **योजना की समाप्तिः** (क) यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि द्वारा संचालित योजना उस वर्ष से जिसमें उस योजना के अधीन यूनिटों का आबंटन किया जाता है, दस वर्ष की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी ।

(ख) यदि किसी योजना के अधीन नब्बे प्रतिशत या उससे अधिक यूनिटों का दस वर्ष पूरा होने के पूर्व पुनः क्रय किया जाता है तो यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधियां, अपने विवेकानुसार, उस योजना की दस वर्ष की निगत अवधि के पूर्व भी समाप्त कर सकेगी और परादेय यूनिटों का मोचन अपने द्वारा नियत अंतिम पुनः क्रय कीमत पर कर सकेंगी ।

[अधिसूचना सं. 226/2005/फा. सं. 142/39/2005-टी.पी.एल]

प्रज्ञा एस. सक्सेना, निदेशक